न्यायालय श्रीमान राजस्व महोदय, भोपाल संभाग (म०प्र०)

निग०-2603-PBR/15

पुनरीक्षण याचिका क्र. --/2015

1- राजेश पंथी पुत्र श्यामलाल पंथी आयु वयस्क

2- चैनसिंह पुत्र श्यामलाल पंथी आयु वयस्क

3- संतोष कुमार पंथी आ० श्यामलाल पंथी आयु वयस्क

तीनों निवासीगण वार्ड नं. 9 तालाब मोहल्ला रामलीला मैदान के पास रायसेन तहसील व जिला रायसेन (म०प्र०) ----- पुनरीक्षणकर्तागण

(226)

श्री जगदीश जैन अधि० द्वारा आज दि० 15/7/15 को प्रस्तुत।

15/7/15

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

विरुद्ध

1- ब्रजमोहन पारासर पुत्र श्री रमेशचन्द्र पाराशर आयु वयस्क निवासी हर्दपुर तहसील सासनी जिला महामाया नगर उत्तरप्रदेश
द्वारा - मुख्तारआम - श्यामबाबू शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा आयु वयस्क निवासी वार्ड नं. 15 अर्जुन नगर रायसेन तहसील व जिला रायसेन

2- लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री दौलतसिंह आयु वयस्क निवासी ग्राम घाट पिपरिया तहसील व जिला रायसेन (म०प्र०) --------- उत्तरदातागण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा० संहिता

माननीय महोदय,

पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से यह पुनरीक्षण याचिका अनावेदक/उत्तरदाता क्र. 1 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर किया गया अवैधानिक सीमांकन आदेश दिनांक 26-4-2014 के पालन मे सीमांकन कार्यवाही प्रकरण क्रमांक 10/अ-12/2013-14 प्रतिवेदन दिनांक 14-6-2014 से व्यथित होकर निम्न सारभूत तथ्यो एवं विधिक आधारो पर उक्त पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करता है :-

पुनरीक्षण याचिका के संक्षिप्त तथ्य

1- यह कि, उत्तरदाता क्र. 1 द्वारा एक आवेदन पत्र दिनांक 13-3-2014 को भूमि सर्वे क्र. 31/1/1/2 रकबा 5.00

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2603–पीबीआर/2015 **जिला रायसेन**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–11–2015	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । राजस्व निरीक्षक के सीमांकन आदेश दिनांक 14–6–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी दिनांक 15–7–15 को लगभग एक वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, और अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का कारण आवेदकगण को बिना सूचना दिये उनके पीठ पीछे सीमांकन किया जाना बतलाया गया है जो कि संतोषजनक कारण नहीं है, कारण सीमांकन के समय अनावेदक कमांक 1 राजेश कुमार एवं लक्ष्मणसिंह उपस्थित रहे हैं, अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया अवधि बाह्य प्रस्तुत किया जाना ठहराया जाता है । जहॉ तक प्रकरण के गुणदोष का प्रश्न है राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् सीमावर्ती कृषकों की उपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही की गई है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी अवधि बाह्य एवं आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	